29.11.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 06/2019
दायर दिनांक :— 14.02.2019
निर्णय दिनांक :— 29.11.2022

उनवान

रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी खारी कोठी मौहल्ला दौसा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी खारी कोठी मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी खारी कोठी मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
3. उम्मेद पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी खारी कोठी मौहल्ला दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 06/2019

प्रार्थी रामजीलाल पुत्र कल्याण की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके दौसा कलां तहसील दौसा के खाता संख्या नये 645 पुराने 717 के खसरा नम्बर 2490 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 2491 रकबा 2.15 है0, खसरा नम्बर 2492 रकबा 5.67 है0, खसरा नम्बर 2500 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2502 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 2504 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 2506 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2507 रकबा 1.04 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 12.70 है0 स्थित है। जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा सोना देवी पत्नि कल्याण बतौर खातेदार काश्तकार अंकन दर्ज है। सोना देवी की दिनांक 04.04.2013 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शामिल में कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु वंश वृद्धि होने तथा पारिवारिक भिन्नता उत्पन्न होने से शामिल में काश्त करना अब मुश्किल हो गया है। [illegible] छोटी–मोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगे एवं उक्त भूमि को लेकर भविष्य में कोई जनहानि ना हो, इसी बात को लेकर प्रार्थी ने दिनांक 28.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से उक्त भूमि के विधिक बंटवारे के लिए कहा तो इन्कार हो गये। इस कारण दावा बंटवारा व प्रार्थना

लगातार .....2.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। मृतक सोना देवी पत्नि कल्याण सहाय की दिनांक 04.04.2013 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इनके अलावा अन्य कोई जीवित या मृत वारिसा नहीं है। इस कारण सोना देवी पत्नि कल्याण सहाय का नाम हजफ किया जाकर मृतक सोना देवी के हिस्से 1/4 में से प्रार्थी अपने नाम से हिस्सा 1/12 की पृथक से घोषणा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 28.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 बिना किसी अधिकार एवं औचित्य के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 2492 पर गोविन्द नांगल रोड से लगता हुआ पुख्ता तामीर हेतु नींव खोदने एवं नींव भरने लग गया। इस पर प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी संख्या 3 जो अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है, दोनों ने प्रार्थी को डरा धमका कर भगा दिया। प्रार्थी के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण जुमले विपक्षीगण का विरोध करने में असमर्थ है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबले विपक्षीगण, प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तातस्फिया दावा विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा हुए भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करे, ना ही भूमि की किस्म परिवर्तन करे तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार से मजाहमत व व्यवधान उत्पन्न ना करे और ना ही वादग्रस्त भूमि को किसी भी शख्स को रहन, बय व किसी भी तरीके से हस्तान्तरित ना करे, ना ही कोई करार करे व इस आशय से विपक्षीगण स्वयं व अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन के बाज व मुमतनाह रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत भूमि का विधिक बंटवारा होने तक उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करने, भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करने, प्रार्थी के उपयोग उपभोग करने में व्यवधान नहीं करने, भूमि को रहन बय व हस्तान्तरित नहीं करने बावत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पावन्द करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है:–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>:– पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी ग्राम दौसा कलां सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2478 है0, खसरा नम्बर 2491 रकबा 2.15 है0, खसरा नम्बर 2492 रकबा [illegible] है0, खसरा नम्बर 2500 रकबा

लगातार .....3.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 10:48:18 IST
Reason: SelfAttested

(7)

0.68 है0, खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2502 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 2504 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 2506 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2507 रकबा 1.04 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 12.70 है0 सोनादेवी पत्नि कल्याण, जगदीश रामजीलाल बाबूलाल पि. कल्याण जाति गूजर सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। चूँकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः— सुविधा की दृष्टि से दोनों विन्दु एक साथ निस्तारित किए जा रहे हैं। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। यदि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उससे प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः दौसा कलां तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2490 से 2492 एवं खसरा नम्बर 2500 से 2507 कुल किता 11 कुल रकबा 12.70 है0 का विधिवत बंटवारा होने तक उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करने, प्रार्थी के भूमि उपयोग में कोई व्यवधान नहीं करने, रहन बय हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:18 IST
Reason: SelfAttested